प्रपत्र – 23

परियोजना का नामः— नगरासू पेयजल योजना

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नगरासू

तहसील रुद्रप्रयाग जिला रुद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नगरासू पे० यो० परियोजना के निर्माण हेतु (0.1274 हे0 आरक्षित वन भूमि, ——— हे0 सिविल सोयम भूमि..... हे0, वन पंचायत भूमि 0.06 हे0) अर्थात कुल 0.1874 हे0 वन भूमि का पेयजल निगम रुद्रप्रयाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नगरासू द्वारा दिनांक 4/11/21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नगरासू ——— के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पे० पेयजल निगम रुद्रप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव

ह0/—
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत नगरासू
ह0 उषा देवी
दिनांक 4/11/21
विण्ड0 अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र – 23.1

परियोजना का नामः– नगरासू पेयजल योजना

दिनांक 4/11/21....... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम नगरासू

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों	हस्ताक्षर
01.	श्रीमती उषा रावत	उषा देवी
02.	श्रीमती पिंकी देवी	पिंकी देवी
03.	श्रीमती सन्तोषी देवी	सन्तोषी देवी
04.	श्री मुकेश सिंह	M
05.	श्रीमती सरोजनी देवी	सरोजनी देवी
06.	श्री अजय कुमार	A
07.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
08.	श्री बीरबल सिंह नेगी	बीरबल
09.	श्री कुलदीप सिंह	Kuldeep
10.	रोहित सिंह	R
11.	श्रीमती मंजू देवी	मंजू देवी
12.	श्री रमेश कुमार	Ramesh
13.	श्रीमती सीमा देवी	सीमा देवी
14.	श्रीमती कविता देवी	कविता देवी

15. श्रीमती उमा देवी — U Rawat

16. श्री कमल सिंह — कमल

17. श्री बिरेन्द्र सिंह — Birendra

18. श्री अनिल कुमार — Anil

ह0 उषा देवी
ग्राम प्रधान
ह0
दिनांक —

प्रधान ग्राम पंचायत नगरासू * वि0ख0 अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग) *

प्रपत्र – 23.2

परियोजना का नामः– नगरासू पेयजल योजना

कार्यालय उप जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, रूद्रप्रयाग।

उपखण्ड रूद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत **नगरासू पेयजल योजना** (0.1274 हे0 आरक्षित वन भूमि, –– हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.06. हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.1874 हे0 वन भूमि) का **उत्तराखण्ड पेयजल निगम रूद्रप्रयाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **रूद्रप्रयाग**) की दिनांक 22/02/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती अपर्णा दौडियाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्रीमती अपर्णा दौडियाल उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग .अध्यक्ष
2– श्री सुभाष नौटियाल ~~उप प्रभागीय वनाधिकारी~~ रूद्रप्रयाग ~~सदस्य~~
3– श्री धीरज बुटोला सहायक समाज कल्याण अधिकारी रूद्रप्रयागसदस्य / सचिव
4– श्रीमती विजया देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र .....सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **नगरासू पेयजल योजना** परियोजना हेतु.0.1874.हे0 वन भूमि **उत्तराखण्ड पेयजल निगम रूद्रप्रयाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है।

उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **रूद्रप्रयाग** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि

वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **रूद्रप्रयाग** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **नगरासू पेयजल योजना** परियोजना के निर्माण हेतु 0.1874 .हे0 वन भूमि **उत्तराखण्ड पेयजल निगम रूद्रप्रयाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड
स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ वं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड
स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग रेंज

उप जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
अगस्त्यमुनि-रूद्रप्रयाग

सहायक समाज कल्याण
अधिकारी
विकासखण्ड अगस्त्यमुनि

प्रपत्र – 23.3

परियोजना का नामः– नगरासू पेयजल योजना

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद रूद्रप्रयाग के जिला स्तरीय समिति की बैठक वन अधिनियम FRA-2006 के अन्तर्गत दिनांक 02/06/2022 को समय 3:00 PM पर **श्री मयूर दीक्षित** आई0ए0एस0 जिला मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष जिला स्तरीय वनाधिकार, समिति की अध्यक्षतामें सम्पन्न हुई।

जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित नगरासू पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु 0.1874 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रूद्रप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, रूद्रप्रयाग तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/–
जिलाधिकारी

प्रपत्र – 23.4

परियोजना का नामः– नगरासू पेयजल योजना

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित नगरासू पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु ~~0.1875~~ 0.1874 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रूद्रप्रयाग (प्रयोक्त एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाइन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाइप लाइन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहें है।

ह0/–
जिलाधिकारी